अति अल्पकालीन ई–निविदा संख्या–30 / 2022–23

निविदादाता को ई–निविदा प्रपत्र भरनें हेतु नियम एवं आवश्यक दिशा निर्देश

निविदाकार को वेबसाइट पर डाले गये निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा तथा समस्त प्रपत्रो की स्वप्रमाणित प्रति स्कैन कर आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र दो भागो में अपलोड कराना होगा।

1. निविदा प्रपत्र शुल्क रूपया 1180.00 (अदेय) तथा धरोहर धनराशि रूपया 2500.00 "**Superintending Engineer, Electricity Urban Distribution Circle, Muzaffarangar**" के नामे **Punjab National Bank, Shiv Chowk, Muzaffarangar** के बैंक खाता संख्या–**0332002100036077, IFSC Code - PUNB0033200** में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से अलग–अलग जमा कर साक्ष्य के रूप में यू0टी0आर0 संख्या, पे–इन–स्लिप की प्रति (इश्यूइंग बैंक के कन्फरमेशन मेल की प्रति) ई–टेण्डर के प्रपत्रों के साथ आन–लाईन अपलोड करना होगा। उक्त जमा धनराशि की बैंक खाते से पुष्टि कर निविदा के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किया जायेगा।
2. प्रपत्र भाग दो में सिर्फ निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न BOQ/Price Bid में दर अपलोड करना होगी।
3. निविदाकार के पास विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी 'ए' स्तर का नवीनतम एवं वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसे निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना होगा।
4. फर्म स्वामी का जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत नवीनतम एवं वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रति ई–निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी होगी।
5. निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र ई–निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना होगा कि उसकी फर्म को उ0प्र0पा0का0लि0 के अन्तर्गत किसी भी डिस्कॉम में काली सूची में नहीं डाला गया है।
6. उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 / प0वि0वि0नि0लि0 के अन्तर्गत निविदित्त / समान प्रकृति के कार्य का संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने का न्यूनतम अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं सम्बन्धित अनुबन्ध प्रपत्र की छायाप्रति ई–निविदा के प्रथम भाग में संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं।
7. पैन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण (With Active Status) की छायाप्रति निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करना आवश्यक हैं।
8. निविदा प्रपत्रों के साथ उपलब्ध **Declaration (Annexure-III)** निविदाकार द्वारा संलग्न किया जाना आवश्यक होगा **(Must be executed on a non-judicial stamp paper)**
9. निविदाकार के पास विगत 05 वित्तीय वर्षों में से 03 श्रेष्ठ वर्षों का औसत टर्नऑवर रू0 3.75 लाख से कम नहीं होनी चाहिए जिसके लिए सी0ए0 द्वारा सत्यापित (सी0ए0 के यू0डी0आई0एन0 अंकित होना चाहिए) प्रोफिट एवं लॉस एकाउन्ट, बैलेन्स शीट या टर्नऑवर सर्टीफिकेट की छायाप्रति ई–निविदा के प्रथम भाग में संलग्न करनी आवश्यक है।
10. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं रखा जायेगा।
11. वाहन द्वारा कम से कम 12 किमी / लीटर का औसत डीजल उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वाहन के रखरखाव / रिपेयर पर आने वाला व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन के ब्रेक–डाउन की दशा में वाहन मालिक द्वारा तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा बीजकों से नियमानुसार पैनल्टी काटी जायेगी।
13. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी। ड्राईवर की नाइट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
14. वाहनों के लिए किराये के अतिरिक्त अन्य कोई देय जैसे कि मोबिल आयल, ब्रेक ऑयल, गाडी की सर्विस आदि का कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. श्रम विभाग द्वारा जारी फर्म के पंजीकरण का नवीनतम एवं वैध प्रमाण पत्र।
16. सम्बन्धित फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में पंजीकरण आवश्यक होगा।
17. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना क्षतिपूर्ति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा एवं समस्त क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा देय होगी।

अधीक्षण अभियन्ता